



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272304
CG-DL-E-07052026-272304

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 122]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026

सं. Y-18020/9/2017- IIIC/CAP (Part).—भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मार्च 2012 में तैयार की गई राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) के अनुरूप, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार ने 2019 में सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण के लिए दिशानिर्देश (जीएसडीडी) अधिसूचित किए, ताकि एमओएसपीआई और अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा निर्मित साझा करने योग्य और गैर-साझा करने योग्य सांख्यिकीय आंकड़ा को परिभाषित किया जा सके और उनके प्रसार के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट की जा सकें। तकनीकी प्रगति और आंकड़ा प्रसारण की विकसित होती पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए, जीएसडीडी 2019 की समीक्षा की गई और उसमें संशोधन किया गया है। तदनुसार, एमओएसपीआई, भारत सरकार ने जीएसडीडी 2019 को निरस्त करते हुए, भारत में मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार आंकड़ा गोपनीयता की सुरक्षा करते हुए, सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी उपयोगकर्ताओं सहित सभी हितधारकों को आधिकारिक आंकड़े तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित जीएसडीडी, 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित दिशानिर्देश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण के लिए संशोधित दिशानिर्देश (जीएसडीडी) (एनडीएसएपी, 2012 के अनुसार)

पृष्ठभूमि :

1. सरकारी सांख्यिकी निर्णय-निर्धारण, नीति विकास, और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हितधारकों के लिए आंकड़ों के प्रभावी प्रसार की आवश्यकता और संभावना को पहचानते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार ने मई, 1999 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण नीति की घोषणा की थी ताकि सांख्यिकी आंकड़ा प्रसारण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) तैयार की जिसका उद्देश्य देश भर में एक वृहत् क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से मशीनी पठनीय रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत साझा करने योग्य आंकड़ों तक सुगम पहुँच प्रदान करना था। एनडीएसएपी के अंतर्गत, मंत्रालयों/विभागों को 'साझा करने योग्य आंकड़े' और 'साझा न करने योग्य आंकड़े' के संदर्भ में भू-स्थानिक और गैर-स्थानिक दोनों रूप में सृजित उनके विभिन्न प्रकार के डेटासेटों को वर्गीकृत करने और प्रतिबंधित पहुँच के अंतर्गत आंकड़ों की एक मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने की आवश्यकता है। एनडीएसएपी 2012 के अनुसरण में, एमओएसपीआई ने वर्ष 2019 में, एमओएसपीआई और अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा सृजित साझा किए जा सकने योग्य और साझा न किए जा सकने योग्य सांख्यिकीय आंकड़ों को परिभाषित करने के लिए एनडीएसएपी, 2012 में निर्धारित समग्र ढांचे के भीतर इसके प्रसार और मूल्य निर्धारण हेतु विशिष्ट निबंधन और शर्तों के साथ सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण (जीएसडीडी) के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए।

उद्देश्य:

2. समय बीतने और तकनीकी प्रगति के साथ, आंकड़ा प्रसार माध्यमों में बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिसके लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी आंकड़ा उपयोगकर्ताओं सहित सभी हितधारकों को सांख्यिकीय आंकड़ों तक निर्बाध पहुँच प्रदान करने और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार गोपनीयता बनाए रखते हुए आंकड़ा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने हेतु **सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण के लिए संशोधित दिशानिर्देश** अधिसूचित किए जा रहे हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आधिकारिक आंकड़ों तक सुगम पहुँच की सुविधा प्रदान करना है, साथ ही आधिकारिक आंकड़ों के लिए सबसे बड़ी आधारभूत आवश्यकता को लागू करना है, अर्थात् गोपनीयता बनाए रखना, और अंततः भारत में मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार आंकड़ा-संचालित संचालन और सभी के समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

कार्य-क्षेत्र:

3. ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सीधे एकत्रित, संकलित और उत्पादित सभी आंकड़ों पर या विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या संगठनों से प्राप्त प्रयुक्त आंकड़ों पर लागू होते हैं।

3.1 इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु सांख्यिकी संग्रहण (सीओएस) अधिनियम, 2008, राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) 2012, डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 और उनके अंतर्गत निर्मित नियमों में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियमों एवं नियमों में दिया गया है। यह दिशा-निर्देश भारत में समय-समय पर लागू गोपनीयता एवं आंकड़ा निजता से संबंधित अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, नीतियों और सरकारी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जाएँगे और उनके अध्यक्षीन होंगे।

ऑकड़ा वर्गीकरण :

4. एमओएसपीआई नियमित आधार पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ऑकड़े एकत्रित, संकलित और प्रसारित करता है, साथ ही देश भर में विभिन्न प्रकार के बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण भी करवाता है और उनके परिणाम प्रकाशित करता है। ऑकड़ों का वर्गीकरण और साझा करने योग्य तथा साझा न करने योग्य डेटासेट की सूची एमओएसपीआई द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकती है। सभी ऑकड़ों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा:

क. साझा करने योग्य ऑकड़ा:

क.1 ऐसे ऑकड़ा सेट, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करते हों, यदि उन्हें सार्वजनिक किया जाता है, या जिनमें व्यक्तिगत सूचना प्रदान करने के साथ-साथ प्रतिष्ठानों की पहचान संबंधी विवरण शामिल नहीं होते हैं, उन्हें सामान्यतः साझा करने योग्य ही माना जाएगा।

क.2 पंजीकृत/प्रतिबंधित डेटासेट तक पहुँच प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएँ/उपयोगकर्ता वैयक्तिक ऑकड़ों के किसी भी आगे के प्रसंस्करण के लिए डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 और उसके तहत बनाए गए नियमों का स्वतंत्र रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

क.3 साझा करने योग्य डेटासेट को आगे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क.3.1.) श्रेणी क (मुक्त अभिगम ऑकड़े):

उपयोगकर्ताओं के साथ एकत्रित/विश्लेषित सूचना और प्रकाशन निःशुल्क साझा किए जाएँगे। इसमें निम्नलिखित प्रकार के ऑकड़े शामिल हैं, जो उदाहरणार्थ हैं:

- (i) राष्ट्रीय लेखा से संबंधित ऑकड़े
- (ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)
- (iii) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) - एनआईसी के 2 अंकों के स्तर पर
- (iv) वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) खंड I
- (v) कारखाना क्षेत्र के लिए एएसआई के सारांश परिणाम
- (vi) केंद्रीय सांख्यिकी संबंधी रिपोर्टें
- (vii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) की रिपोर्टें/फैक्टशीट।

क.3.2.) श्रेणी ख (पंजीकृत अभिगम ऑकड़े):

(i) इसमें व्यक्तियों/परिवारों/प्रतिष्ठानों के पहचान विवरणों को प्रतिस्थापन या अनामीकरण करने के बाद एमओएसपीआई द्वारा सर्वेक्षणों/जनगणनाओं के माध्यम से एकत्रित प्राथमिक इकाई-स्तरीय ऑकड़े और द्वितीयक स्रोतों से एकत्रित मद-स्तरीय ऑकड़े शामिल हैं। ऐसे ऑकड़ों तक पंजीकरण द्वारा पहुँचा जा सकता है। इसमें निम्न प्रकार के ऑकड़े शामिल हैं:

- (क) आर्थिक गणना के इकाई स्तरीय आंकड़े
- (ख) इकाई स्तरीय एनएसएस आंकड़े
- (ग) मद स्तरीय आईआईपी आंकड़े
- (घ) शहरी ढांचा सर्वेक्षण (यूएफएस) सारांश ऑकड़े जिसमें शहरवार जांचकर्ता इकाइयों की पूरी सूचना, यूएफएस ब्लॉक संख्याएँ, परिवारों की संख्या, क्षेत्र प्रकार के साथ-साथ मेटाडेटा शामिल है, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जिनके लिए केवल सैन्य/अर्ध-

सैन्य अधिकारियों आदि से विशिष्ट अनुमति के साथ यूएफएस का क्षेत्र कार्य किया गया है।

(ii) पंजीकृत अभिगम आँकड़ा केवल गैर-वाणिज्यिक उपयोग, जिसमें अध्ययन/अनुसंधान उद्देश्य और भारत सरकार तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपयोग शामिल है, के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए ("**व्यावसायिक उपयोग**" से तात्पर्य लाभ कमाने के लिए मुख्य रूप से लक्षित कार्यकलापों के लिए आँकड़ों के उपयोग से है, जिसमें आँकड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त उत्पादों, सेवाओं या रिपोर्टों का विकास, विपणन या बिक्री शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है), पंजीकृत अभिगम आँकड़ों का मूल्य एमओएसपीआई द्वारा तय की गई मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार समय-समय पर तय किया जाएगा।

(iv) विदेशी उपयोगकर्ताओं (व्यक्तियों और संस्थाओं) को आँकड़ों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, उन्हें किसी संस्थान या संगठन (जैसे विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या अन्य संगठन) से संबद्ध होना चाहिए, जिसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है।

क.3.3) श्रेणी ग (प्रतिबंधित अभिगम आँकड़े):

क.3.3.1 इसमें यूएफएस ब्लॉकों के मानचित्र, आर्थिक गणना पर आधारित सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर (एसबीआर) के आँकड़े (जिसमें प्रतिष्ठानों/मालिकों के पहचान संबंधी विवरण सम्मिलित हैं) और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) का ढांचा और पैनल आँकड़ा शामिल है।

क.3.3.2 यूएफएस ब्लॉक मानचित्रों तक पहुंच:

- (i) ये मानचित्र भारत में सरकारी एजेंसियों (केंद्रीय और राज्य) को पूर्व अनुमति के अधीन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (ii) अन्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए, जिनमें व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता भी शामिल हैं, मानचित्र पूर्व अनुमति के अधीन उपलब्ध कराए जाएंगे और इनका मूल्य समय-समय पर एमओएसपीआई द्वारा निर्धारित मूल्य नीति के अनुसार होगा।

क.3.3.3 सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर (एसबीआर) आँकड़ों तक पहुंच:

- (i) ये प्रतिबंधित आँकड़े पूर्व अनुमति के अधीन केवल भारत सरकार की एजेंसियों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ही उपलब्ध होंगे।
- (ii) ये भारत सरकार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की एजेंसियों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (iii) ये गैर-सरकारी एजेंसियों के लिए साझा करने योग्य नहीं होंगे।

क.3.3.4 एएसआई पैनल आँकड़ों तक पहुंच:

(i) एएसआई 1998-99 से अनुरोध के आधार पर एएसआई पैनल आँकड़े, शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य गैर-सरकारी एजेंसियों को केवल गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए और भारत सरकार तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए, पूर्व अनुमति के अधीन, निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ii) व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए, पैनल आँकड़े, पूर्व अनुमति के अधीन, उपलब्ध कराए जाएंगे और समय-समय पर एमओएसपीआई द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार इनका मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

क.3.3.5 एएसआई के ढांचे तक पहुंच:

(i) प्रतिबंधित एएसआई ढांचा विवरण (जैसे इकाई का नाम, इकाई का पता, इकाई का स्थान, राज्य कोड, राज्य का नाम, जिला कोड, जिले का नाम, उद्योग कोड (4-अंकीय एनआईसी), कुल कार्यरत व्यक्ति) अनुरोध पर शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य गैर-सरकारी एजेंसियों को केवल गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और भारत सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की एजेंसियों को, पूर्व अनुमति के अधीन, निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ii) व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए, पैनल आँकड़ा पूर्व प्राधिकरण के अधीन उपलब्ध कराया जाएगा और समय-समय पर एमओएसपीआई द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार इसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

क.3.3.6 प्रतिबंधित पहुंच वाले आँकड़ों को विदेशी उपयोगकर्ताओं (व्यक्तियों और संस्थाओं) को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, सिवाय ऐसे उपयोगकर्ताओं के जिन्हें एमओएसपीआई द्वारा निर्णित किया जाए।

ख. साझा न किए जा सकने वाला आँकड़ा:

ख.1 इसमें वे सभी डेटासेट शामिल हैं जो साझा किए जाने योग्य आँकड़ों के दायरे से बाहर हैं। गैर-साझा करने योग्य आँकड़ों में नैगेटिव लिस्ट (जैसा कि एनडीएसएपी, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट है) शामिल है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

ख.1.1 यूएफएस आँकड़ा या उन क्षेत्रों के मानचित्र जिनके लिए यूएफएस का क्षेत्र कार्य केवल सुरक्षा एजेंसियों आदि से विशिष्ट अनुमति के साथ किया गया था।

ख.1.2 डेटासेट जिसमें व्यक्तिगत सूचनादाताओं/प्रतिष्ठानों के पहचान संबंधी विवरण शामिल हैं। इस श्रेणी के कुछ उदाहरण हैं, आईआईपी, एएसआई और एनएसओ प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के इकाई स्तरीय आँकड़ों में सूचनादाताओं/प्रतिष्ठानों के पहचान विवरण; और सीपीआई तैयार करने के लिए चयनित विभिन्न ग्रामीण और शहरी बाजारों की विभिन्न दुकानों से एकत्रित कीमतों पर आँकड़े।

ख.1.3 कोई भी आँकड़ा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्तिगत सूचनादाता की पहचान या सूचना को प्रकट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ख.1.4 एनएसओ के परिणाम/तकनीकी दस्तावेजों की तैयारी के लिए आँकड़ा जांच और सारणीकरण आदि पर मध्यवर्ती कार्यपत्रक।

ख.1.5 सी ए पी ई एक्स सर्वेक्षण का इकाई स्तर आँकड़ा

ख.1.6 निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआईएसएसई) का ढांचा संबंधी आँकड़ा।

आँकड़ा प्रसार :

5. साझा करने योग्य आँकड़ा का प्रसार की पूर्ण उपलब्धता, समानता, लचीलेपन, पारदर्शिता, कानूनी अनुरूपता, गुणवत्ता, सुरक्षा, जवाबदेही आदि के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों के एक सेट द्वारा निर्देशित होगा और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आसान, उपयोगकर्ता के अनुकूल और समय पर प्रसार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

5.1 एमओएसपीआई की वेबसाइट (<https://www.mospi.gov.in>) और माइक्रोडेटा पोर्टल के माध्यम से सभी साझा करने योग्य आँकड़ा तक पहुँच उपलब्ध कराई जाएगी।

5.2 सभी साझा करने योग्य आँकड़े स्पष्ट और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और मेटाडेटा मानक प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

- 5.3 आँकड़ा जारी करने संबंधी कैलेंडर एमओएसपीआई की वेबसाइट पर अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5.4 प्रसार कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन, यदि कोई हो, तो पहले से सार्वजनिक रूप में घोषित किया जाएगा।
- 5.5 उपयोगकर्ता की निजता की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करके सभी आँकड़े हस्तांतरित किए जाएंगे।
- 5.6 एमओएसपीआई का आँकड़ा प्रसार प्राधिकरण, आँकड़ा साझा करने से पहले, डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य लागू गोपनीयता कानूनों के अनुपालन में, पहचान योग्य जानकारी को हटाने के लिए सर्वोत्तम अनामीकरण तकनीक अपनाएगा।
- 5.7 आँकड़ों तक कैसे पहुँचें:

5.7.1 श्रेणी क के अंतर्गत आँकड़ों तक पहुँच: एमओएसपीआई की श्रेणी क (ओपन एक्सेस) डेटा एक्सप्लोर करने के लिए एमओएसपीआई की वेबसाइट (<https://www.mospi.gov.in>) पर देखें, जो बिना पंजीकरण के निःशुल्क उपलब्ध है।

5.7.2 श्रेणी ख के अंतर्गत आँकड़ों तक पहुँच: श्रेणी ख के तहत आँकड़ों तक पहुँच एमओएसपीआई के माइक्रोडेटा पोर्टल (<https://microdata.gov.in/>) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

5.7.2.1 गैर-व्यावसायिक उपयोग: एमओएसपीआई के आधिकारिक माइक्रोडेटा पोर्टल (<https://microdata.gov.in/>) पर एक बारी पंजीकरण अपेक्षित है। पंजीकरण के समय, पंजीकृत एक्सेस डेटा के लिए आवेदन (अनुबंध-1) पूरा किया जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता संदर्भ हेतु पोर्टल पर उपलब्ध *माइक्रोडेटा डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल* का भी संदर्भ ले सकते हैं। आवेदन डेटा पहुँच समझौता/ शपथपत्र भी प्रदान करता है जिसका पालन आँकड़ा गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा हेतु किया जाना चाहिए।

5.7.2.2 व्यावसायिक उपयोग: व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु आँकड़ों का उपयोग करने वाले संगठन और व्यक्ति को माइक्रोडेटा पोर्टल (<https://microdata.gov.in/>) पर पंजीकरण करना अपेक्षित है। उपयोगकर्ताओं को आँकड़ों (सजग व्यावसायिक आवश्यकता को दर्शाते हुए) के इच्छित उपयोग को स्पष्ट रूप से बताने वाला एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, साथ ही अनुरोधित विशिष्ट आँकड़ा सेट और लागू गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ, और अनुबंध-1 के अनुसार आँकड़ा पहुँच समझौता/ शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। सभी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को निर्धारित आँकड़ा संरक्षण मानकों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। समय-समय पर एमओएसपीआई द्वारा निर्धारण मूल्य नीति के अनुसार शुल्क का भुगतान करने पर माइक्रोडेटा पोर्टल के माध्यम से पहुँच प्रदान की जाएगी।

5.7.3 श्रेणी ग के तहत आँकड़ा तक पहुँच: श्रेणी 'ग' के तहत साझा किए जाने योग्य आँकड़ा तक पहुँच के सभी आवेदन निम्नलिखित स्थान पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

5.7.3.1 यूएफएस ब्लॉक मानचित्र तक पहुँच:

क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग,

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रयान्वयन मंत्रालय,

सांख्यिकी भवन, जीपीओए भवन,

सीबीडी शाहदरा, कडकडडूमा कोर्ट के पास, दिल्ली-110032,

दूरभाष: 011-22388155,

ईमेल: adg.fodhq@mospi.gov.in

5.7.3.2 सांख्यिकीय व्यावसायिक रजिस्टर (एसबीआर) आँकड़ा तक पहुँच:

आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,
खुशीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली – 110001;
दूरभाष: 011-23455115;
ईमेल: adg-esd@mospi.gov.in.

5.7.3.3 एएसआई पैनल आँकड़ा तक पहुँच:

आँकड़ा सूचना विज्ञान और नवाचार प्रभाग,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,
ईस्ट ब्लॉक-10, आर. के. पुरम,
नई दिल्ली – 110066
ईमेल: webunit.diid@mospi.gov.in

5.7.3.4 एएसआई ट्रांजे तक पहुँच:

उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,
1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता – 700001
ईमेल: cdn-csoisw@nic.in

5.7.4 आवेदन प्रक्रिया:

5.7.4.1 भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संस्थाओं हेतु: अनुबंध-1 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करें। अनुमोदन एमओएसपीआई द्वारा पूर्व अनुमति के अधीन है।

5.7.4.2 अन्य लोगों हेतु, जिनमें व्यवसायिक उपयोग हेतु आँकड़ों तक पहुँच की आवश्यकता होती है: अनुबंध-1 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करें। समय-समय पर एमओएसपीआई द्वारा निर्धारण मूल्य नीति के अनुसार शुल्क का भुगतान करने पर माइक्रोडेटा पोर्टल के माध्यम से पहुँच प्रदान की जाएगी।

5.8 डेटा फ़ाइल को लोकप्रिय प्रारूपों (.सीएसवी, .एक्सएलएसएक्स, .डीबीएफ और डेटाबेस प्रारूप आदि) में मेटाडेटा के साथ डाउनलोड करने हेतु कई विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.9 संशोधित अनंतिम आँकड़ा की उपलब्धता के साथ संशोधन का विशेष कारण वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए।

निर्देशों की समीक्षा:

6. उपयोगकर्ताओं को एमओएसपीआई की वेबसाइट (<https://mospi.gov.in/feedback>) के माध्यम से या ईमेल: gsdd-cicd@mospi.gov.in पर आँकड़ा प्रसार में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। एमओएसपीआई द्वारा समय-समय पर इन निर्देशों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें उपयोगकर्ताओं की प्रतिपुष्टि को उचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

समीक्षा तथा कार्यान्वयन:

7. नीति और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन की सुविधा हेतु एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।

सुप्रीत सिंह गुलाटी, संयुक्त सचिव

अनुबंध I**श्रेणी 'ख' और 'ग' के अधीन पंजीकृत/प्रतिबंधित आँकड़ों तक पहुँच हेतु आवेदन**

आँकड़ों के उपयोग के प्रकार	गैर- व्यावसायिक/ व्यावसायिक उपयोग
आवेदक की श्रेणी	व्यक्तिगत/संस्थान
संस्थान का विवरण (यदि लागू हो)	
संस्थान का नाम	
संस्थान की श्रेणी	<ul style="list-style-type: none"> ○ सरकारी मंत्रालय/विभाग ○ सरकारी एजेंसी (पीएसयू, स्वायत्त निकाय, आदि) निर्दिष्ट करें: _____ <ul style="list-style-type: none"> ○ विश्वविद्यालय ○ अनुसंधान केंद्र ○ निजी कंपनी ○ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ○ भारतीय गैर-सरकारी संगठन ○ गैर-भारतीय गैर-सरकारी संगठन ○ अन्य निर्दिष्ट करें: _____
आवेदक की जानकारी	
आवेदक का नाम	शीर्षक: _____ पहला नाम: _____ मध्य नाम: _____ अंतिम नाम: _____
पदनाम/भूमिका	
नागरिकता:	
डाक पता (सड़क, शहर, राज्य, डाक कोड, देश शामिल करें)	
संपर्क सं (देश कोड के साथ)	
ईमेल पता	
संबद्धता विवरण (यदि लागू हो)	
विदेशी विश्वविद्यालयों/संगठनों से संबद्ध भारतीय नागरिकों के लिए यदि आवेदक एक भारतीय नागरिक है और किसी विदेशी विश्वविद्यालय या संगठन के साथ कार्यरत है, तो संबद्धता संबंधी विवरण प्रदान करें	

श्रेणी 'ग' (अर्थात् प्रतिबंधित पहुँच आंकड़ा) विदेशी व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

विदेशी संगठन का नाम:	
संगठन का प्रकार:	<input type="radio"/> विश्वविद्यालय <input type="radio"/> अनुसंधान संस्थान <input type="radio"/> अन्य निर्दिष्ट करें: _____
विदेशी संगठन का पता:	
गैर-भारतीय आवेदकों के लिए यदि आवेदक एक विदेशी उपयोगकर्ता (व्यक्ति या संगठन) है, तो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भारतीय संगठन (जैसे, विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान) का विवरण प्रदान करें जिसके साथ आवेदक जुड़ा/संबद्ध है।	
भारतीय संगठन का नाम	
भारतीय संगठन का प्रकार	<input type="radio"/> विश्वविद्यालय <input type="radio"/> अनुसंधान संस्थान <input type="radio"/> अन्य निर्दिष्ट करें: _____
भारतीय संगठन का पता	
ऑकड़ा उपयोग का उद्देश्य	
ऑकड़ा के इच्छित उपयोग का विवरण: ऑकड़ा का उपयोग कैसे किया जाएगा, इसका स्पष्ट सारांश प्रदान करें (उदाहरण के लिए, शैक्षणिक अनुसंधान, नीति विश्लेषण, सांख्यिकीय मॉडलिंग, व्यावसायिक उत्पाद विकास, आदि)। परियोजना के उद्देश्यों, अपेक्षित परिणामों और ऑकड़ा इन लक्ष्यों का समर्थन कैसे करता है, इसका विवरण शामिल करें। (200 शब्दों तक सीमित)	

ऑकड़ा पहुँच समझौता/शपथपत्र

मैं/हम [पूरा नाम/संगठन का नाम], एतद्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से अनुरोधित ऑकड़ा तक पहुँचने और उसका उपयोग करने के लिए निम्नलिखित नियमों तथा शर्तों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ और सहमत हूँ:

1. अनुरोधित ऑकड़ों तक पहुँच आवेदक तथा अकादमिक संस्था के मामलों के अलावा संगठन में प्राधिकृत कार्मिक को संगठन की ओर से आवेदन किए जाने वाले मामलों तक ही सीमित होगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की पूर्व स्वीकृति के बिना ऑकड़ा किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ साझा नहीं किया जाएगा। शैक्षिक संस्थाओं के मामले में, ऑकड़ों की गोपनीयता के अनुरक्षण के अधीन ऑकड़ा शैक्षिक उद्देश्य के लिए संस्था के शोधकर्ताओं/विद्यार्थियों के साथ साझा किया जा सकता है।
2. ऑकड़ा का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्य(ओं) के लिए ही उपयोग होगा, किसी भी अवैध उद्देश्य के लिए नहीं होगा। गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राप्त ऑकड़ा का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी व्यक्ति, परिवार, व्यवसाय, उद्यम आदि की पहचान करने का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। यदि अनजाने में ऐसा कोई एकमात्र प्रकटीकरण होता है, तो पहचान किसी को नहीं बताई जाएगी और न ही इस प्रकार ज्ञात व्यक्ति/इकाई की पहचान का कोई उपयोग किया जाएगा, और ऐसे मामलों की पूरी जानकारी एमओएसपीआई को तत्काल रिपोर्ट की जाएगी।
4. आवेदक को प्राप्त ऑकड़ा तक अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय (जैसे, पासवर्ड सुरक्षा, सुरक्षित भंडारण, आदि) कार्यान्वित करेगा। किसी संभावित अनधिकृत प्रकटीकरण की सूचना तुरंत एमओएसपीआई को दी जाएगी।
5. सभी व्यक्ति जिनकी पहुँच ऑकड़ों तक है, उन्हें जरूरी सुरक्षा आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाएगा।
6. ऑकड़ा का उपयोग सांख्यिकी संग्रह (सीओएस) अधिनियम, 2008, राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) 2012, डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 तथा सरकार और देश के कानूनों के अन्य प्रचलित गोपनीयता और ऑकड़ा गोपनीयता नियमों / नीतियों / दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, जैसा की समय-समय पर संशोधित किया गया है।
7. कोई भी पुस्तक, लेख, दस्तावेज, शोधपत्र, रिपोर्ट, प्रकाशन आदि जो इस अनुरोध के तहत प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हैं, वे स्थापित मानदंडों/अभ्यासों के अनुसरण में ऑकड़ों के स्रोत के बारे में बताएंगे।
8. एमओएसपीआई ऑकड़ा के उपयोग या इस पर आधारित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है।
9. ऑकड़ा तक पहुँच और उपयोग के संबंध में एमओएसपीआई द्वारा अधिसूचित किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता का अनुपालन किया जाएगा।
10. ऑकड़ा का कोई भी गलत उपयोग, जिसमें अनाधिकृत पहुँच, प्रकटीकरण या व्यावसायिक दुरुपयोग शामिल है जिससे गोपनीयता को खतरा/हानि होती है, वह भारतीय न्याय संहिता, 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत ऑकड़ा संरक्षण अधिनियम, 2023 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अधीन होगा, तथा लागू कानून जो एमओएसपीआई के ऑकड़ों को भविष्य में पहुँच प्राप्त करने से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट करना शामिल है।
11. इन शर्तों के उल्लंघन करने की किसी भी स्थिति में एमओएसपीआई ऑकड़ों तक की पहुँच को निलंबित या रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है। आवेदक, एमओएसपीआई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, इन नियमों और शर्तों के किसी भी कथित या वास्तविक उल्लंघन की जांच करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
12. आवेदक ऑकड़ा के दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी हानि या क्षति के लिए एमओएसपीआई को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

13. यह शपथपत्र देश के कानून द्वारा शासित होगी और उसी के अनुसार इसकी व्याख्या की जाएगी और इस शपथपत्र से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों पर नई दिल्ली स्थित न्यायालयों का एकमात्र क्षेत्राधिकार होगा।
14. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि प्रदान की गई सभी जानकारी पूर्ण, सटीक और सही है, और किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत एमओएसपीआई को दी जाएगी।
15. इस शपथपत्र पर हस्ताक्षर करते समय, मैं/हम समझते/समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि दी गई कोई भी गलत जानकारी या इन शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें नीति के अनुसार आँकड़ा तक पहुंच पर प्रतिबंध या सरकार के नियमों/नीतियों/दिशानिर्देशों और देश के कानूनों के तहत लागू कोई अन्य कार्रवाई शामिल है।

आवेदक का हस्ताक्षर : _____

नाम (बड़े अक्षरों में): _____

पदनाम (यदि लागू हो): _____

संगठन (यदि लागू हो): _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

जमा करने के निर्देश: भरा हुआ फॉर्म निम्न माध्यम से जमा करें:

- पंजीकरण के बाद **श्रेणी ख** आँकड़ा तक पहुंच के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का आधिकारिक माइक्रोआँकड़ा पोर्टल (<https://microdata.gov.in/>)
- **श्रेणी ग** आँकड़ा तक पहुंच के लिए:
 - यूएफएस ब्लॉक मैप आँकड़ा तक पहुंच के लिए क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग, एमओएसपीआई, सांख्यिकी भवन, जीपीओए बिल्डिंग, सीबीडी शाहदरा, कड़कड़डूमा कोर्ट के पास, दिल्ली-110032, ईमेल: adg.fodhq@mospi.gov.in,
 - सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर (एसबीआर) आँकड़ा तक पहुंच के लिए आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग, एमओएसपीआई, खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110001, दूरभाष: 011-23455115, ईमेल: adg-esd@mospi.gov.in
 - **एसआई पैनल** आँकड़ा तक पहुंच के लिए आंकड़ा सूचना विज्ञान और नवाचार प्रभाग (डीआईआईडी), एमओएसपीआई, ईस्ट ब्लॉक-10, आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066, ईमेल: webunit.diid@mospi.gov.in
 - **एसआई ढांचे** तक पहुंच के लिए कृपया उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग, एमओएसपीआई, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001, ईमेल: cdn-csoisw@nic.in
- या समय-समय पर एमओएसपीआई के दिशानिर्देशानुसार।

नोट: उपरोक्त आवेदन पत्र के माध्यम से एकत्रित की गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार सत्यापन, संचार, प्राधिकरण आदि के लिए किया जाएगा।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th April, 2026

No. Y-18020/9/2017-IIIC/CAP(Part).—In line with the National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) formulated by Ministry of Science & Technology, Government of India in March 2012, the Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI), Government of India, notified the Guidelines for Statistical Data Dissemination (GSDD) in 2019, to define shareable and non-shareable statistical data generated by MoSPI and other statistical agencies, specify the terms and conditions for their dissemination. Keeping in view technological advancements and the evolving practices of data dissemination, GSDD 2019 has been reviewed and revised. Accordingly, in supersession of the GSDD 2019, MoSPI, Government of India, with an aim to provide seamless access to official statistics to all stakeholders including government, semi-government, and private users while protecting data privacy as per existing legal provisions in India, hereby notifies the revised GSDD, 2026 as per the details given in the Schedule appended to this Notification. The revised guidelines shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

SCHEDULE**Revised Guidelines for Statistical Data Dissemination (GSDD)
(in accordance with NDSAP, 2012)****Background:**

1. Official statistics are vital for decision-making, policy development, and research in both public and private sectors. Recognizing the requirement and potential of effective dissemination of data to stakeholders, the Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI), Government of India announced the National Policy on Dissemination of Statistical Data in May, 1999 to streamline the statistical data dissemination system. Further, in March 2012, the Ministry of Science & Technology, Government of India formulated the National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) with an objective to facilitate access to Government of India owned shareable data (along with its usage information) in machine readable form through a wide area network all over the country. As per NDSAP, Ministries/Departments are required to classify their different types of datasets generated both in geospatial and non-spatial form in terms of '*shareable data*' and '*non-shareable data*', and come out with a pricing policy of the data under restricted access. In accordance with NDSAP 2012, MoSPI, in 2019, laid down the Guidelines for Statistical Data Dissemination (GSDD) to define shareable and non-shareable statistical data generated by MoSPI and other statistical agencies, specify the terms and conditions for its dissemination and pricing within the overall framework laid down in NDSAP, 2012.

Objective:

2. With the passage of time and technological advancements, the modes of data dissemination have undergone major transformation requiring a modification of the existing guidelines. In the above backdrop, the *revised GSDD* are being notified to provide seamless access of statistical data to all stakeholders including Government, semi-Government, private data users, and promote data-driven decision making while protecting the privacy as per prevalent legal provisions. The objective of these guidelines is to facilitate easy access of official statistics to all the users while implementing the most fundamental requirement for official statistics i.e. protecting confidentiality, and eventually leading to data-driven governance and inclusive development of one and all as per prevalent legal provisions in India.

Scope:

3. These guidelines apply to all data collated, compiled and produced by the National Statistics Office (NSO), MoSPI either directly or using data received from various Ministries, Departments, or Organisations.

3.1 Words and expressions used in these guidelines and not defined but defined in the Collection of Statistics (CoS) Act, 2008, National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) 2012, Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 and the rules framed thereunder shall have the same meanings as assigned to them in the said Act and Rules. These Guidelines shall further be read in conjunction with, and subject to, all other applicable laws, rules, regulations, policies, and governmental guidelines relating to confidentiality and data privacy, as in force from time to time in India.

Data Classification:

4. MoSPI collects, compiles and disseminates data on a number of sectors on a regular basis, besides conducting a variety of large-scale surveys across the country and publishing their results. The data classifications and list of sharable and non-sharable datasets are subject to modification by MoSPI from time to time. All the data will be categorized as under:

A. Shareable data:

A.1 Datasets, which do not compromise national security, if made public, or those which do not contain identification particulars of individual informants as well as establishments, would generally be considered shareable.

A.2 All entities/users accessing registered/restricted datasets shall independently ensure compliance with the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 and Rules framed thereunder for any further processing of personal data.

A.3 The shareable datasets are further categorized as follows:

A.3.1) Category A (open access data):

Aggregated/analyzed information and publications which will be shared free of cost with users. This includes the following types of data, which is illustrative:

- (i) Data relating to National Accounts
- (ii) Consumer Price Index (CPI)
- (iii) Index of Industrial Production (IIP) - at NIC 2-digit level
- (iv) Annual Survey of Industries (ASI) Volume I
- (v) ASI Summary Results for Factory Sector
- (vi) Reports of Central Statistics
- (vii) Reports/factsheets of National Sample Surveys (NSS).

A.3.2) Category B (Registered access data):

(i) This includes primary unit level data collected by MoSPI through surveys/censuses, and item level data collected from secondary sources, after suppression or anonymisation of the identification details of individuals/ households/ establishments. Such data can be accessed by registration. This includes the following types of data:

- (a) Unit level data of Economic Census
- (b) Unit level NSS data
- (c) Item level IIP data
- (d) Urban Frame Survey (UFS) summary data with town-wise complete information of Investigator Units, UFS block numbers, number of households, area type along with metadata except for the areas for which field work of the UFS has been carried out only with the specific permission from military/ para-military authorities etc.

(ii) The registered access data will be made available free of cost only for non-commercial use including study/research purposes and use by the agencies of Government of India and the Government of State/UTs.

(iii) For commercial use by individuals and entities ("*Commercial use*" refers to *utilization of data for activities primarily intended to generate profit, including but not limited to the development, marketing, or sale of products, services, or reports derived directly or indirectly from the data*), the registered access data shall be priced in accordance with the pricing policy as decided by MoSPI from time to time.

(iv) For foreign users (individuals and entities) to access data, they must be associated/affiliated with an Institution or organization (*e.g. university or a research institution or other organization*) that is officially recognized by the Government of India.

A.3.3) Category C (Restricted access data):

A.3.3.1 This includes the maps of UFS blocks, data of Statistical Business Register (SBR) based on the Economic Census (containing identification particulars of establishments/proprietors) and frame and panel data of Annual Survey of Industries (ASI).

A.3.3.2 Access to UFS Block Maps:

(i) These maps will be made available free of cost to Government Agencies (Central and State) in India, subject to prior authorization.

(ii) For all other users, including for commercial and non-commercial purposes, the maps shall be made available subject to prior authorization and shall be priced in accordance with the pricing policy as decided by MoSPI from time to time

A.3.3.3 Access to Statistical Business Register (SBR) Data:

(i) This restricted data shall be available only to Government of India agencies and State/UT Governments, subject to prior authorization.

(ii) It shall be provided free of cost for agencies of Government of India and the Government of State/UTs.

(iii) It shall be non-shareable for Non-Government agencies.

A.3.3.4 Access to ASI Panel Data:

(i) ASI panel data will be made available from ASI 1998-99 onwards on request basis, free of charge to Academic/Research Institutes, Universities and Other Non-Government agencies for non-commercial purposes only and for use by agencies of Government of India and the Government of State/UTs, subject to prior authorization.

(ii) For commercial use by individuals and entities, the Panel Data shall be made available subject to prior authorization and shall be priced in accordance with the pricing policy prescribed by MoSPI from time to time.

A.3.3.5 Access to ASI Frame:

(i) The restricted ASI frame particulars (*viz. Name of the Unit, Address of the Unit, Place of the Unit, State Code, State Name, District Code, District Name, Industry Code (4-digit NIC), Total Persons Engaged*) shall be available on request free of charge to

Academic/Research Institutes, Universities and Other Non-Government agencies for non-commercial purposes only and to agencies of Government of India and the Government of State/UTs, subject to prior authorization.

(ii) For commercial use by individuals and entities, the Panel Data shall be made available subject to prior authorization and shall be priced in accordance with the pricing policy prescribed by MoSPI from time to time.

A.3.3.6 Restricted access data will not be made available to foreign users (individuals and entities), other than any such users as may be decided by MoSPI.

B. Non-Shareable data:

B.1 This includes all datasets which are outside the purview of shareable data. The non-shareable data will comprise of the Negative List (*as specified under the provisions of NDSAP, 2012*). These include but not limited to the following:

B.1.1 The UFS data or maps of areas for which the field work of UFS was carried out only with the specific permission from security agencies, etc.

B.1.2 Data sets containing identification particulars of individual informants/establishments. Some examples in this category are identification particulars of informants/establishments in unit level data of IIP, ASI and NSO sample surveys; and data on prices collected from different shops of various rural and urban markets selected for preparation of CPI.

B.1.3 Any data which can be directly or indirectly used to reveal the identity or information of individual informant.

B.1.4 Intermediate worksheets on data scrutiny & tabulation etc., for preparation of results / technical documents of NSO.

B.1.5 CAPEX Survey unit level data.

B.1.6 Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE) frame data.

Dissemination:

5. Dissemination of shareable data will be guided by a set of internationally accepted principles of openness, equitableness, flexibility, transparency, legal conformity, quality, security, accountability, etc. and will be implemented without infringing the principles laid down in the Right to Information (RTI) Act, 2005. Further, keeping citizens' requirement as the focus, the following guidelines are laid down to ensure easy, user friendly and timely dissemination:

5.1 Access to all shareable data will be made available through the MoSPI's website and microdata portal.

5.2 All shareable data will be presented in a clear and understandable form and metadata will be made available in standard format.

5.3 Calendar of release of data will be made available in advance on MoSPI's website.

5.4 Changes in dissemination schedule, if any, will be publicly announced in advance.

5.5 All data transfers will be made by using adequate security protocols to protect user privacy.

- 5.6 The data dissemination authority of MoSPI will adopt best anonymization technique to remove identifiable information, in compliance with DPDP Act, 2023 and Rules framed thereunder, and any other applicable privacy laws, prior to sharing data.

5.7 **How to Access Data:**

5.7.1 **Access to data under Category A:** Visit MoSPI's website (<https://www.mospi.gov.in>) to explore Category A (open access) data of MoSPI, available free without registration.

5.7.2 **Access to data under Category B:** Access to data under Category B shall be provided through MoSPI's microdata portal (<https://microdata.gov.in/>).

5.7.2.1 **Non-commercial use:** One-time registration on MoSPI's official Microdata portal (<https://microdata.gov.in/>) is required. Upon registration, the Application for Registered Access Data (**Annex-I**) is to be completed and submitted via the online portal. Users can also refer to *User Manual to Download Microdata*, available on the portal for reference. The application also provides a Data Access Agreement/Undertaking which is to be complied with to protect data privacy and security.

5.7.2.2 **Commercial use:** Entities and individuals intending to use data for commercial purposes must register on Microdata Portal (<https://microdata.gov.in/>). Users must submit a detailed proposal specifying the intended use of the data (demonstrating a legitimate business need) along with the specific datasets requested and the confidentiality safeguards in place, along with a Data Access Agreement/Undertaking, as per **Annex-I**. All entities and individuals must submit the undertaking affirming compliance with prescribed data protection standards. Access to be provided through Microdata Portal with payment of charges as per the pricing policy as decided by MoSPI from time to time.

5.7.3 **Access to data under Category C:** All applications for accessing shareable data under Category 'C' must be submitted to:

5.7.3.1 **Access to UFS Block Maps:**

Field Operations Division,
Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI),
Sankhiyiki Bhawan, GPOA Building at CBD Shahdara, Near Karkardooma
Court, Delhi-110032,
Tel: 011-22388155,
Email: adg.fodhq@mospi.gov.in.

5.7.3.2 **Access to Statistical Business Register (SBR) Data:**

Economics Statistics Division,
Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI),
Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi – 110001;
Tel: 011-23455115;
Email: adg-esd@mospi.gov.in.

5.7.3.3 Access to ASI Panel Data:

Data Informatics & Innovation Division,
Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI),
East Block-10, R. K. Puram, New Delhi – 110066
Email: webunit.diid@mospi.gov.in

5.7.3.4 Access to ASI Frame:

Enterprise Survey Division,
Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI),
1, Council House Street, Kolkata – 700001
Email: cdn-csoisw@nic.in

5.7.4 Application Process:

5.7.4.1 For Government of India and State/UT Agencies: Submit the application as per **Annex-I**. Approval is subject to authorization by MoSPI.

5.7.4.2 For others including those requiring data access for commercial use: Submit the application as per **Annex-I**. Access will be provided after authorization by MoSPI and payment of applicable charges as per the pricing policy, as decided by MoSPI from time to time.

5.8 Multiple options for downloading the data file in popular formats (*.csv*, *.xlsx*, *.dbf* and *database formats*, etc.) along with its metadata will be made available.

5.9 Availability of revised final data along with specific reason for the revision should be expressly communicated in the website.

Review of the Guidelines:

6. Users are encouraged to submit feedback for improvements in data dissemination via MoSPI website (<https://mospi.gov.in/feedback>) or at email: gsdd-cicd@mospi.gov.in. These guidelines will be periodically reviewed by MoSPI, duly considering users feedback.

Monitoring & implementation:

7. An oversight committee will be constituted for facilitating the implementation of the policy and its provisions thereof.

SUPREET SINGH GULATI, Jt. Secy.

Annex-I**Application for Registered/Restricted Access Data under Category ‘B’ & ‘C’¹**

Type of Data Use	Non-Commercial Use/ Commercial Use
Category of applicant	Individual/Organization
Organization Details (if applicable)	
Name of organization	
Category of organization	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Government Ministry/ Department <input type="radio"/> Government agency (<i>PSU, Autonomous body, etc.</i>) Specify: _____ <input type="radio"/> University <input type="radio"/> Research Centre <input type="radio"/> Private Company <input type="radio"/> International organization <input type="radio"/> Indian Non-governmental organization <input type="radio"/> Non-Indian Non-governmental organization <input type="radio"/> Others Specify: _____
Applicant Information	
Name of applicant	Title: _____ First Name: _____ Middle Name: _____ Last Name: _____
Designation/Role	
Citizenship:	
Postal address (Include street, city, state, postal code, country)	
Contact No. (Include country code)	
Email Address	
Affiliation Details (if applicable)	
For Indian Citizens Affiliated with Foreign Universities/Organizations <i>If the applicant is an Indian citizen working with a foreign university or organization, provide details of the affiliation</i>	

¹ Category C (i.e. Restricted access data) is not available to foreign individuals/entities.

Name of Foreign Organization:	
Type of Organization:	<input type="radio"/> University <input type="radio"/> Research Institution <input type="radio"/> Others Specify: _____
Address of Foreign Organization:	
For Non-Indian Applicants <i>If the applicant is a foreign user (individual or organization), provide details of the Indian organization (e.g., university or research institution) officially recognized by the Government of India with which the applicant is associated/affiliated.</i>	
Name of Indian Organization	
Type of Indian Organization	<input type="radio"/> University <input type="radio"/> Research Institution <input type="radio"/> Others Specify: _____
Address of Indian Organization	
Purpose of Data Use	
Description of intended use of data: Provide a clear summary of how the data will be used (e.g., <i>academic research, policy analysis, statistical modelling, commercial product development, etc.</i>). Include the project's objectives, expected outcomes, and how the data supports these goals. <i>(Limit to 200 words)</i>	

Data Access Agreement/Undertaking

I/We [Full Name/Organization Name], hereby solemnly undertake and agree to comply with the following terms and conditions for accessing and using the requested data from the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI):

1. Access to requested data shall be limited to the applicant, and in case of application made on behalf of an organization, to the authorized personnel in the organization, except in the case of academic institutions. The data shall not be shared with any individual or organization without prior approval from the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). In case of academic institutions, the data can be shared with researchers/students of the institution for academic purposes, subject to the maintenance of confidentiality of the data.
2. The data shall be used only for the stated purpose(s) and not for illegal purposes. Data obtained for non-commercial use shall not be used for commercial purposes.
3. No attempt shall be made to directly or indirectly identify any individual person, family, business, enterprise, etc. If such a unique disclosure occurs inadvertently, the identification shall not be revealed to anyone nor any use shall be made of the identity of any person/ entity discovered, and full details in such cases shall be reported to MoSPI immediately.
4. The applicant shall implement adequate security measures (e.g., password protection, secure storage, etc.) to prevent unauthorized access to data acquired. Any possible unauthorized disclosure shall be immediately reported to MoSPI.
5. All individuals who have access to the data shall be made aware of the required security requirements and procedures.
6. The use of data must be consistent with the provisions of Collection of Statistics (CoS) Act, 2008, National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) 2012, Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 and other prevalent confidentiality & data privacy rules/ policies/ guidelines of the Government and laws of the country, as amended from time to time.
7. Any books, articles, papers, theses, reports, publications, etc. that employ data obtained under this request, shall cite the data source in accordance with the established norms/ practices.
8. MoSPI shall bear no responsibility for use of the data or for any interpretation based on it.
9. Any additional requirements notified by MoSPI regarding data access and use shall be complied with.
10. Any wrongful use of data, including unauthorized access, disclosure, or commercial misuse that compromises confidentiality, shall be subject to penal action under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the Information Technology Act, 2000, the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and other applicable laws including debarment/blacklisting from future access to MoSPI data.
11. MoSPI reserves the right to suspend or revoke access to data in case of any breach of these terms. The applicant shall provide necessary assistance to MoSPI to investigate any alleged or actual breach of these terms and conditions within timelines as may be decided by MoSPI.

12. The applicant shall indemnify MoSPI against any loss or damage arising from misuse of the data.
13. This Undertaking shall be governed by and construed in accordance with the Law of the Land and the Courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction over all matters arising out of or in connection with this undertaking.
14. I/We hereby certify that all information provided is complete, accurate, and correct, and any changes shall be reported to MoSPI immediately.
15. In signing this Undertaking, I/We understand and acknowledge any false information furnished or violation of these terms may result in legal and administrative action, including restrictions on data access as per policy or any other action as applicable under the rules/ policies/ guidelines of the Government and laws of the country.

Applicant Signature: _____

Name (in Block Letters): _____

Designation (if applicable): _____

Organization (if applicable): _____

Place: _____

Date: _____

Submission Instructions: Submit the completed form via:

- MoSPI's official Microdata portal (<https://microdata.gov.in/>) for access to **Category B** data after registration
- For access to **Category C** data:
 - To Field Operations Division, MoSPI, Sankhiyiki Bhawan, GPOA Building at CBD Shahdara, Near Karkardooma Court, Delhi-110032, email: adg.fodhq@mospi.gov.in for access to **UFS Block Maps** data,
 - To Economics Statistics Division, MoSPI, Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001, Tel: 011-23455115, Email: adg-esd@mospi.gov.in for access to **Statistical Business Register (SBR)** Data
 - To Data Informatics & Innovation Division, MoSPI, East Block-10, R. K. Puram, New Delhi – 110066, Email: webunit.diid@mospi.gov.in for access to **ASI Panel** Data
 - To Enterprise Survey Division, MoSPI, 1, Council House Street, Kolkata – 700001, Email: cdn-csoisw@nic.in for access to **ASI Frame**
- Or as directed by MoSPI guidelines from time to time.

Note: The personal data collected through the above application form will be used only for verification, communication, authorization, etc. in accordance with DPDP Act, 2023 and Rules framed thereunder.